


कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश


राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(1)शिक्षा-2/2016 पार्ट, जयपुर दिनांक-01.05.2017 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर श्री ओम सिंह राजपुरोहित, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढेलाना, राजसमंद की प्रतिनियुक्ति जिला साक्षरता अधिकारी में राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144'क' के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने के अनुसरण में श्री राजपुरोहित को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम प्रधानाध्यापक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति
1	श्री ओम सिंह राजपुरोहित	प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढेलानाराजसमंद	जिला साक्षरता अधिकारी, पाली


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

- क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/बी-4/प्रति./डीएलसीओ/2010
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज0, जयपुर
 - 2- निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, जयपुर
 - 3- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
 - 3- संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर/पाली
 - 4- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, राजसमंद
 - 4- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
 - 5- अनुभाग अधिकारी, संस्थापन सी, कार्यालय हाजा ।
 - 6- प्रभारी प्रभाग-बी-1/II, ए-3,4/5,6,8
 - 7- रक्षित पत्रावली

दिनांक- 18.05.17


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर